<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)</u>

<u>पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या :— 21/2016

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारॉ
(सायल)

बनाम

राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र रमेशचन्द्र जाति हरिजन निवासी गायत्री नगर, अटरू जिला बाराँ
(गैरसायल)

<u>इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा—3</u>

उपस्थिति :— 1— अभियोजन अधिकारी (सायल)
2— स्वयं उपस्थित (गैरसायल)

<u>निर्णय दिनांक 22.11.2021</u>

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल राजू उर्फ राजेन्द्र जाति हरिजन निवासी गायत्री नगर, अटरू जिला बाराँ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा—3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना अटरू जिला बारॉ क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति जुआ सट्टा, विद्युत ट्रांसफर चोरी एवं चोरी की अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरूद्व पुलिस थाना अटरू में वर्ष 2005 से 2016 तक की अवधि में कुल 09 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओं(05), भादस(01) एवं 136 विद्युत अधिनियम(03) के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से कुल 02 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओं के तहत गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावें।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य [illegible] जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को कुल 02 प्रकरणों [illegible]यालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। [illegible] गुण्डा की परिभाषा [illegible]ता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 धारा—3 के तहत कार्यवाही की जावें। इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा—3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:49:45 IST
Reason: SelfAttested

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 05.08.2016 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में गैरसायल का जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में गैरसायल द्वारा निवेदन किया गया कि मैं गरीबी के कारण मेरे अभिभाषक की फीस चुकाने में असमर्थ हूँ। मेरे विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण में अभिभाषक की अनुपस्थिति में स्वयं पैरवी कर उक्त प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करवाना चाहता हूँ। इस पर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना अटरू में 2005 से 2016 तक की अवधि में कुल 09 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओं(05), भादस(01) एवं 136 विद्युत अधिनियम(03) के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से कुल 02 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओं के तहत गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

गैरसायल द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु निवेदन किया गया कि मेरे विरूद्ध पुराने प्रकरण थाने में दर्ज है और नया कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। मैं शांतिपूर्वक मजदूरी करके अपने परिवार का पालन–पोषण करता हूँ। मेरे तारीख पेशी पर आने से उस दिन की मजदूरी भी छूट जाती है। मेरे विरूद्व पुलिस थाना, अटरू द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जो निरस्त की जावें।

अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल स्वयं की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना अटरू में 2005 से 2016 तक की अवधि में कुल 09 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओं(05), भादस(01) एवं 136 विद्युत अधिनियम(03) के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से कुल 02 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओं के तहत गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि राजू उर्फ राजेन्द्र जाति हरिजन निवासी गायत्री नगर, अटरू जिला बाराँ द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है, क्योंकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को 2 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:49:45 IST
Reason: SelfAttested

अतः गैरसायल राजू उर्फ राजेन्द्र जाति हरिजन निवासी गायत्री नगर, अटरू जिला बाराँ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूॅ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र अटरू से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूॅ।

गैरसायल राजू उर्फ राजेन्द्र जाति हरिजन निवासी गायत्री नगर, अटरू जिला बाराँ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना अटरू जिला बाराँ क्षेत्र से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, बपावर जिला कोटा को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 08.12.2021 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना बपावर जिला कोटा को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना अटरू जिला बारॉ क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना बपावर जिला कोटा के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:49:45 IST
Reason: SelfAttested